[redacted]

67

1

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण क्रमांक / 2017निगरानी I/निगरानी/विदिशा/भू.रा./2017/2753

1. रहमान खॉ पुत्र वली खॉ
2. कमाल खॉ पुत्र वली खॉ

निवासीगण ग्राम बांसखेडी गूगल तहसील सिरोंज जिला विदिशा

.... आवेदकगण

विनोद श्रीवास्तव, अधि0 द्वारा आज दि. 21.8.17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 21.8.17 राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बनाम

1. वली खॉ पुत्र श्री मुलायम खॉ , मुसलमान निवासी ग्राम बांसखेडी गूगल तहसील सिरोंज जिला विदिशा
2. इमरान खॉ पुत्र श्री वली खॉ
3. अरमान खॉ पुत्र वली खॉ.
4. अरबाज खॉ पुत्र वली खॉ

समस्त जाति मुसलमान निवासीगण ग्राम बांसखेडी गूगल तहसील सिरोंज जिला विदिशा

.... प्रोफार्मा पक्षकार

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी सिरोंज जिला विदिशा म.प्र. ,रा प्रकरण क्रमांक 67/ अपील/ 2014– 15 में पारित आदेश दिनांक 29.7.2017 के विरूद्व निगरानी प्रस्तुत हैं।

माननीय न्यायालय ,

आवेदकगण की ओर से निगरानी निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

1. यहकि, अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष न्ययालय नायब तहसीलदार मण्डल 4 सिरेांज के नामान्तरण पंजी 10 दिनांक 30.11.2012 में पारित आदेश दिनांक 15.12.2012 के विरूद्व अपील प्रस्तुत की गई थी।

3

(67)

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/विदिशा/भू.रा./2017/2733

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री विनोद श्रीवास्तव उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 26-2-19 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों। (3) प्रशासकीय सदस्य	